अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

1. पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने भारत में बड़ी क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से नवंबर 2005 में विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) यानी 4,000 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स (पिट हेड और आयातित कोयला आधारित दोनों) की पहल शुरू की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को इन परियोजनाओं के विकास की सुविधा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहायता से विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा यूएमपीपी के लिए विभिन्न इनपुट को जोड़ा गया है। सीईए इन यूएमपीपी के लिए साइटों के चयन में शामिल है।

2. विद्युत मंत्रालय की भूमिका

विद्युत मंत्रालय केंद्र सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों और विभिन्न राज्य सरकारों/एजेंसियों के साथ समन्वय करके यूएमपीपी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विद्युत मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:-

- सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वय:
    - कोल ब्लॉक आवंटन/कोयला लिंकेज
    - पर्यावरण/वन मंजूरी
    - जल जुड़ाव
- राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों से अपेक्षित समर्थन।
- राज्यों के परामर्श से यूएमपीपी से विभिन्न राज्यों को विद्युत के आवंटन की गणना करना। राज्य सरकारों/राज्य उपयोगिताओं के साथ पीपीए और उचित भुगतान सुरक्षा तंत्र को सुगम बनाना। पूर्व निर्धारित समय-सीमा के संबंध में एसपीवी की प्रगति की निगरानी करना।

3. मुख्य विशेषताएं

3.1. अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट उच्च तापीय दक्षता प्राप्त करने के लिए सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की बचत होगी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होगा।
3.2. निर्दिष्ट न्यूनतम सुपरक्रिटिकल मापदंडों को अपनाने के अधीन इकाई आकार में लचीलापन।

3.3. पिथेड परियोजनाओं के लिए समर्पित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के साथ एकीकृत विद्युत परियोजना।

4. बोली प्रक्रिया

इन परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार दो चरणों वाली चयन प्रक्रिया अपनाई गई है। बोली लगाने के पहले चरण में योग्यता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) शामिल है जिसमें बोलीदाताओं के चयन के लिए योग्यता मापदंड शामिल हैं। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत आरएफक्यू दस्तावेजों का मूल्यांकन उन बोलीदाताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जो प्रक्रिया के दूसरे चरण में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। बोली प्रक्रिया का दूसरा चरण इतने योग्य बोलीदाताओं से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है। आरएफपी दस्तावेजों के मूल्यांकन के बाद, सफल बोलीदाता की पहचान न्यूनतम स्तर के टैरिफ के आधार पर की जाती है।

5. यूएमपीपी की स्थापना के लिए स्थलों का चयन

मूल रूप से ऐसी नौ परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पहचाना गया था, 4 पिथेड पर और 5 तटीय स्थानों पर। बाद में राज्य सरकारों के अनुरोध पर कुछ और स्थलों की पहचान की गई। सीईए/पीएफसी राज्यों के परामर्श से स्थान की उपयुक्तता की जांच करते हैं।

6. विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) की अवधारणा

पीएफसी इन परियोजनाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) को दो विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) संरचना के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

i. **संचालन एसपीवी:** सभी वैधानिक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने एवं परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। वर्तमान में पीएफसी के पास मौजूद इस एसपीवी को बोली प्रक्रिया के अंत में चयनित बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

ii. **अवसंरचना एसपीवी:** कैप्टिव कोल ब्लॉक, कुल कोल ब्लॉक भूमि के साथ-साथ विद्युत स्टेशन और कॉरिडोर के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अवसंरचना एसपीवी के नाम पर होगी। वर्तमान में पीएफसी द्वारा धारित अवसंरचना एसपीवी को बोली प्रक्रिया के अंत में खरीददारों को हस्तांतरित किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक भूमि

विद्युत स्टेशन को अवसंरचना एसपीवी द्वारा प्रचालन एसपीवी/विक्रेता को पट्टे पर दिया जाएगा। इसके अलावा, अवसंरचना एसपीवी टाइल ऑपरेटिंग एसपीवी के साथ एक उपयुक्त समझौता करेगा और ऑपरेटिंग एसपीवी को खान विकास ऑपरेटर के रूप में नियुक्त करेगा, ताकि इसे आवंटित में खदान विकास कार्यों को करने में सक्षम बनाया जा सके। कैप्टिव कोयला ब्लॉक भूमि और उसमें खनन किए गए कोट का उपयोग विशेष रूप से परियोजना के उद्देश्य के लिए करें।

पीएफसी प्रत्येक यूएमपीपी के लिए अलग-अलग दो विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करता है जो खरीददारों (विद्युत की खरीद करने वाले राज्यों की वितरण कंपनियों) के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है।

एसपीवी खरीददारों की ओर से विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं। परियोजना के पुरस्कार से पहले इन गतिविधियों को पूरा करना निवेशक के विश्वास को बढ़ाने, जोखिम की धारणा को कम करने और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। एसपीवी द्वारा की जाने वाली कुछ मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, तीव्र पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी), दस्तावेज तैयार करने और मूल्यांकन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति
- बोली प्रक्रिया को पूरा करने और परियोजना का पुरस्कार करने के लिए
- परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत
- पिट-हेड परियोजनाओं के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन
- राज्य सरकार द्वारा पानी के आवंटन के संबंध में मंजूरी प्राप्त करना। पिथेड स्थानों के लिए
- समुद्री जल के उपयोग के लिए मेरीटाइम बोर्ड/अन्य सरकार से स्वीकृति। तटीय स्थानों के लिए एजेंसियां
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करें, परियोजना के लिए और कोयला खानों के लिए आवश्यक वन मंजूरी आदि शुरू करें, इसके बाद केंद्रीय सरकार से पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करें।
- कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआई से भूवैज्ञानिक रिपोर्ट/अन्य संबंधित डेटा प्राप्त करना।
- विद्युत के ऑफटेक/बिक्री के लिए समझौता करना।

7. राज्यों की भूमिका

7.1 यूएमपीपी के आरंभिक चरण से लेकर अंतिम रूप से चालू करने तक, संबंधित राज्य सरकारों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा (पिट हेड परियोजना के मामले में जल लिंकेज सहित) उपर्युक्त स्थल की स्पष्ट पहचान के बिना कोई भी बड़ी गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती है।

7.2 स्थल की पहचान के बाद, मेजबान राज्य और अन्य विद्युत खरीद राज्यों को अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखना आवश्यक है। विशेष रूप से, कुछ गतिविधियां जिनमें संबंधित राज्यों को निर्णायक भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है, उनमें आरएंडआर योजना का कार्यान्वयन शामिल है। पीएफसी/एसपीवी को वितरण यूटीलिटियों की ओर से बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करना शामिल है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्थापित विभिन्न समितियों में इसके प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेना विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करना, वितरण यूटीलिटियों आदि के साथ उचित भुगतान सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करता है।

8. अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) की स्थिति

भारत सरकार ने भारत में बड़ी क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से नवंबर 2005 में विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) अर्थात् 4,000 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स (पिट हेड और आयातित कोयला आधारित दोनों) की पहल शुरू की। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड को इन परियोजनाओं के विकास की सुविधा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहायता से स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) द्वारा यूएमपीपी के लिए विभिन्न आदानों को जोड़ा जाता है। सीईए इन यूएमपीपी के लिए स्थलों के चयन में शामिल है।

मौजूदा और प्रस्तावित यूएमपीपी में से प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। यूएमपीपी के लिए निधि की व्यवस्था परियोजना के विकासकर्ता द्वारा की जाती है जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक बोली दस्तावेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से चुना जाता है।

i. **मध्य प्रदेश में सासन यूएमपीपी - कोल पिटहेड**
ii. **गुजरात में मुंद्रा यूएमपीपी- तटीय**
iii. **आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - तटीय**
iv. **झारखंड में तिलैया यूएमपीपी- कोयला पिटहेड**
v. **छत्तीसगढ़ में यूएमपीपी- कोल पिटहेड**
vi. **ओडिशा में बेदाबहल यूएमपीपी - कोयला पिटहेड**
vii. **तमिलनाडु में चेयूर यूएमपीपी - घरेलू कोयला आधारित**
viii. **महाराष्ट्र में यूएमपीपी- तटीय**
ix. **कर्नाटक में यूएमपीपी – तटीय**

मूल रूप से पहचाने गए नौ यूएमपीपी के अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों से अपने राज्यों में अतिरिक्त यूएमपीपी की स्थापना के लिए अनुरोध आया है। ये नीचे दिए गए हैं:

i. **ओडिशा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी**
ii. **गुजरात में दूसरा यूएमपीपी**
iii. **झारखंड में दूसरा यूएमपीपी - देवघर यूएमपीपी**
iv. **तमिलनाडू में दूसरा यूएमपीपी**
v. **बिहार में यूएमपीपी - बांका यूएमपीपी**
vi. **उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी**
vii. **आंध्र प्रदेश में दूसरा यूएमपीपी**

<u>यूएमपीपी की स्थिति</u>

I. यूएमपीपी परिचालन: चार यूएमपीपी नामत: मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखंड में तिलैया को चिन्हित विकासकर्ताओं को अंतरित किया गया। चार सम्मानित यूएमपीपी में से दो यूएमपीपी नामत: मुंद्रा यूएमपीपी और सासन यूएमपीपी प्रचालन में हैं। परिचालनात्मक यूएमपीपी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क. **गुजरात में मुंद्रा यूएमपीपी:** परियोजना को सफल बोलीदाता यानी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को दिनांक 23.04.2007 को 2.26367/किलोवाट घंटा रुपये के मूल्यांकित स्तरीकृत टैरिफ पर सौंप दिया गया था। मुंद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से शुरु की गई है।

ख. **मध्य प्रदेश में सासन यूएमपीपी:** परियोजना को सफल बोलीदाता यानी मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को दिनांक 07.08.2007 को 1.19616/किलोवाट घंटा रुपये के मूल्यांकित स्तरीकृत टैरिफ पर सौंप दिया गया था। सासन यूएमपीपी पूरी तरह से शुरु की गई है।

II. **फास्ट ट्रैक पर यूएमपीपी:** 02 यूएमपीपी को बोली लगाने के लिए फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। विभिन्न मंजूरियां ली गई हैं। मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जारी होने के बाद बोली शुरु की जाएगी। इन 02 यूएमपीपी की स्थिति इस प्रकार है:-

क. **ओडिशा में बेदाबहल यूएमपीपी:** इस यूएमपीपी के लिए साइट सुंदरगढ़ जिले के बेदाबहल गांव में है। वर्ष 2013 में जारी आरएफक्यू और आरएफपी को वापस ले लिया गया। पूर्व सीवीसी श्री प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यूएमपीपी/मामले पर लागू संशोधित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी)-2 की सिफारिश के लिए यूएमपीपी के लिए बोली दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। मानक बोली दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मानक बोली दस्तावेज को अंतिम रूप देने और इंफ्रा स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को कोयला ब्लॉकों के आवंटन के बाद नई बोली जारी की जाएगी।

ख. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कोयला मंत्रालय को अवगत कराया है कि कोयला मंत्रालय महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को मीनाक्षी, मीनाक्षी बी और मीनाक्षी कोयला ब्लॉकों के डीपसाइड आवंटित कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप एमसीएल ऐसे आवंटन से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को वहन कर सकता है, जिसमें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों या किसी भी परिणामी देनदारियों को मुआवजा और नौकरियों का प्रावधान शामिल है। यह भी बताया गया है कि जब भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) शुरू होगा, विद्युत मंत्रालय एक अन्य कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय से संपर्क करेगा।

ग. **झारखंड में तिलैया यूएमपीपी:** परियोजना को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को दिनांक 07.08.2009 को 1.770 प्रति किलोवाट घंटा रुपये के मूल्यांकन स्तर पर टैरिफ पर सौंप दिया गया था। विकासकर्ता, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल), (आरपीएल की एक सहायक कंपनी) ने झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का अंतरण न करने का हवाला देते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) को समाप्त करने की सूचना जारी की है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने दिनांक 19.06.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया कि आरपीएल के खरीददारों द्वारा जेआईपीएल का अधिग्रहण कर लिया गया है।

III. **पाइपलाइन में यूएमपीपी:** 02 यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में हैं। विभिन्न मंजूरियां, कोयला ब्लॉक आवंटन, भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। इन 02 यूएमपीपी की स्थिति इस प्रकार है:-

क. **बिहार में बांका यूएमपीपी:** बिहार में यूएमपीपी की स्थापना के लिए बांका जिले के काकवाड़ा में एक साइट को अभिचिन्हित किया गया है। अवसंरचना स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) नामत: बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड को दिनांक 30.06.2015 को शामिल किया गया है। परिचालन एसपीवी नामत: बिहार मेगा पावर लिमिटेड (बीएमपीएल) को दिनांक 09.07.2015 को शामिल किया गया है।

ख. **झारखंड में देवघर यूएमपीपी:** झारखंड में दूसरा यूएमपीपी स्थापित करने के लिए हुसैनाबाद, देवघर जिले में एक साइट को अभिचिन्हित किया गया है। ऑपरेटिंग एसपीवी अर्थात् देवघर मेगा पावर लिमिटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी अर्थात् देवघर इंफ्रा लिमिटेड को क्रमशः दिनांक 26.04.2012 और दिनांक 30.06.2015 को शामिल किया गया है।

IV विभिन्न कारणों से रुके हुए यूएमपीपी:

क. **तमिलनाडु में चेयूर यूएमपीपी:** तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले के चेयूर में साइट को पनैयूर गांव में कैप्टिव बंदरगाह के साथ अभिचिन्हित किया गया है। चेयूर यूएमपीपी को मूल रूप से आयातित कोयले पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, हाल ही में विद्युत मंत्रालय आयातित कोयले के बजाय घरेलू कोयले पर चेयूर यूएमपीपी स्थापित करने की संभावना की जांच कर रहा है। कोयला मंत्रालय से उपयुक्त खोजे गए कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। टैंजेडको सहित सभी खरीददारों ने परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया है। टैंजेडको एसपीवी (तमिलनाडु पावर लिमिटेड) का अधिग्रहण करके राज्य के लिए लाभदायक किसी अन्य परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग करने पर विचार कर रहा है।

ख. **आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी:** परियोजना को रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को दिनांक 29.01.2008 को 2.33/किलोवाट घंटा रुपये के स्तर के टैरिफ पर सौंप दिया गया था। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए नियमन का हवाला देते हुए साइट पर काम बंद कर दिया है। अग्रणी खरीददार ने विकासकर्ता को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.01.2019 को इस मामले में फैसला जारी किया है और तटीय आंध्र पावर लिमिटेड (सीएपीएल) द्वारा अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए अपील को खारिज कर दिया है। विद्युत मंत्रालय ने पीपीए की समाप्ति के परिणामस्वरूप आरपीएल से पीएफसी को सीएपीएल के अंतरण के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए खरीददारों की बैठक के लिए आरपीएल अनुरोध अग्रेषित किया। पीएफसी ने ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड से अनुरोध किया है कि आंध्र प्रदेश (अग्रणी खरीददार) आगे की कार्रवाई के लिए कृष्णापटनम यूएमपीपी के लिए सभी खरीददारों की बैठक बुलाना पसंद कर सकता है।

v. यूएमपीपी को बंद करने पर विचार किया जा रहा है: विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26.07.2019 और दिनांक 08.04.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से नीचे उल्लिखित 06 यूएमपीपी के खरीददारों को सूचित किया है कि उक्त यूएमपीपी के संबंध में गतिविधियां विभिन्न कारणों से काफी समय से आगे नहीं बढ़ रही हैं। और यूएमपीपी को बंद करने के लिए खरीद करने वाले राज्यों की राज्य सरकारों से पुष्टि के लिए अनुरोध किया था।

क. ओडिशा में दूसरा यूएमपीपी: भद्रक जिले की चांदबली तहसील के बिजॉयपटना में।
क. ओडिशा में तीसरा यूएमपीपी: कालाहांडी जिले के नरला और कसिंगा उप-खंड में।
ख. उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी: एटा जिले में।
ग. कर्नाटक यूएमपीपी: मैंगलोर तालुका दक्षिण कन्नड़ जिले के निद्दोडी गांव में।
घ. गुजरात में दूसरा यूएमपीपी: गिर सोमनाथ जिले में।
ङ. तमिलनाडू में दूसरा यूएमपीपी: नागपट्टिनम के पास।

VI. बंद यूएमपीपी: आंध्र प्रदेश में दूसरा यूएमपीपी, छत्तीसगढ़ में यूएमपीपी और महाराष्ट्र में यूएमपीपी बंद कर दिए गए हैं।

******